पश्चिम मध्य रेल - जबलपुर मंडल

रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक23/08/19

## जबलपुर मंडल में चलने वाली गाडियों में आन बोर्ड शापिंग

मंडल रेल प्रबंधक ( वाणिज्य ) जबलपुर मंडल प.म.रे. के अंतर्गत चलने वाली गाडियों में आन बोर्ड शापिंग हेतु स्व सहायता समूह,व्यक्ति, फर्म से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते है ;

इस हेतु आवेदन के मुख्य बिंदु निम्न है ;

- इच्छुक पार्टी रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तावित गाडी का क्रमांक /कार्य हेतु सेक्सन (स्टेशनों के मध्य ) / स्टेशनों के मध्य कार्य करना है लिखकर आन बोर्ड शापिंग का आवेदन कर सकते है।
- इस कार्य की अवधि एक वर्ष होगी।
- इस कार्य के माध्यम से निम्न प्रोडक्ट प्रिंटेड मूल्य पर विक्री की अनुमति होगी।
  - क. ओरल और स्किन केयर प्रोडक्ट।
  - ख. हेयर केयर और कास्मेटिक।
  - ग. स्वास्थ्य सम्बन्धी आइटम।
  - घ. परफ्यूम, स्प्रे।
  - ङ. पैक्ड मिठाइयाँ।
  - च. स्टेशनरी प्रोडक्ट।
  - छ. मेडिसिन - जो बिना डॉक्टर की सलाह के बेचीं जा सकती है।
  - ज. स्थानीय प्रोडक्ट ( स्थानीय हस्त कला , स्थानीय पैक्ड फ़ूड )
  - झ. छोटे खिलोने
  - ञ. मोबाइल /लेपटाप एसिसरी
  - ट. अखबार/मैगजीन
  - ठ. ड्राई पावडर मिल्क
  - ड. सेनेट्री नेपकीन
  - ढ. स्लीपर , मोज़े
  - ण. रुमाल , टावल
- उक्त वर्णित सूची में प्रोडक्ट को सक्षम अधिकारी (Sr DCM ) द्वारा बढाया या घटाया जा सकता है।
- निम्न प्रोडक्ट किसी भी दशा में नहीं बेचे जाएंगे
  - क. हथियार
  - ख. ज्वलनशील पदार्थ
  - ग. सभी निषिद्ध वस्तुए जैसे अल्कोहल,तम्बाकू,गुटखा,सिगरेट ,बीडी आदि।
  - घ. केंद्र/राज्य/रेलवे द्वारा वर्जित पदार्थ।
- इस हेतु कार्य करने वाले कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित नियम के तहत परिचय पत्र,तथा परमिट प्रस्तावक द्वारा जारी किया जाएगा।
- इच्छुक प्रस्तावक प्रस्ताव के साथ 10000/- का DD Sr.DFM JBP WCR के नाम का प्रस्ताव के साथ जमा किया जाएगा जोकि आवंटन के बाद लाइसेंस फीस में समायोजित कर लिया जाएगा , असफल प्रस्तावको को रिफंड कर दिया जाएगा। बिना DD के दिए गए प्रस्ताव को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
- इस प्रस्ताव की अवधि 6 माह है उसके बाद इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी जैसे कार्य हेतु प्रस्तावित गाडियों, उनके मार्ग की जानकारी कार्यालयीन दिवस में DRM ( C ) JBP कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे :-

Scanned by CamScanner

क. ID - प्रस्तावक की
ख. पेन कार्ड/आधार कार्ड
ग. प्रस्तावित ट्रेन का नंबर
घ. प्रोडक्ट की सूची
ङ. इस प्रकार का अनुभव यदि हो तो।

- यदि कार्य के दौरान यात्रियों और प्रस्तावक के कर्चारियो के बीच कोई विवाद होता है तो रेल प्रशासन कि कोई जिमीदारी नहीं होगी।
- प्रस्तावक द्वारा इस हेतु आफर प्राइस एक साल का कोड करना होगाप्रस्तावित लाइसेंस फीस शब्दों और अंको में साफ़ साफ़ लिखी होनी चाहिए ।
- प्रस्तावक को लाइसेंस फीस का 50 % सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा , जोकि सफलतापूर्वक कार्य समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।प्रस्तावित लाइसेंस फीस LOA जारी होने के 10 दिन के अंदर एकमुस्त जमा करनी होगी।
- यदि लाइसेंसी के किसी कर्मचारी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया गया , कोई बिना अनुमोदन के सामग्री बेचीं गयी, या चोरी करते पकड़ा गया तो रेल प्रशासन निविदा को तुरंत समाप्त कर सकता है।
- इस कार्य हेतु लागू सभी देय करो का भुगतान प्रस्तावक को करना होगा।
- आवेदन पत्र दिनांक 17/09/19 को 15;30 बजे तक Sr.DCM JBP कार्यालय में कार्यालीन समय में सील बंद लिफाफे के माध्यम से जमा कर सकते है।
- यदि एक गाडी के लिए दो या तीन प्रस्ताव प्राप्त होते है तो आवंटन का आधार प्रस्तावित लाइसेसं फीस तथा प्रस्तावक द्वारा किए गए कार्य का अनुभव होगा।
- आवेदन स्वीकार करना ,अस्वीकार करने ,संसोधित करने का अंतिम निर्णय रेल प्रशासन का होगा।

देवेश सोनी
मंडल वाणिज्य प्रबंधक
जबलपुर

Scanned by CamScanner